प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/4136-III-15

ओमप्रकाश दत्तक पुत्र रामसिंह कलौता आयु 49 वर्ष व्यवसाय कृषि जाति कलोता निवासी ग्राम बिलावली तेहसील व जिला देवास ....आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री .... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ....
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. रामसिंह पिता काशीराम कलौता
2. कल्याणसिंह पिता रामरतन कलौता

निवासीगण ग्राम बिलावली तेहसील व जिला देवास ....अनावेदकगण

20
7/12/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 द्वारा प्रदत्त आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण 51/2009-2010 अपील मे पारित आदेश दिनांक 28-02-2013 से असंतुष्ट होकर।

6/2/16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 51/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दि. 7-12-2015 को अर्थात 2 वर्ष 9 माह वाद प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये विवरण में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 20.12.12 को अंतिम तर्क सुने तथा दिनांक 31.1.13 आदेश हेतु लगाई , परन्तु इस दिन

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक.....4136–तीन/2015 निगरानी ....जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। और प्रकरण में आदेश की आगामी तिथि टीप नहीं कराई गई। दिनांक 28–2–13 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, उसकी कोई सूचना आवेदक को एंव अभिभाषक को नहीं दी गई। इस आदेश की जानकारी पहली वार 16–11–15 को ग्राम के लोगों से पता लगी, तब उज्जैन जाकर पता चला कि 28–2–13 को आदेश पारित हो गया है। फलस्वरूप 18–11–13 को नकल का आवेदन देने पर 23–11–15 को नकल मिली तब यह निगरानी की गई है। इसलिये निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जावे। 3/ अवधि विधान की धारा–5 में उल्लेखित तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक ने स्वीकार किया है कि अंतिम बहस के वाद आदेश हेतु 31.1.13 में प्रकरण लगाया है उसके वाद 28–2–13 को आदेश पारित करके सूचना नहीं दी गई। जब 31–1–13 को आदेश की तिथि टीप थी, उसके वाद आवेदक का एंव उनके अभिभाषक का दायित्व था कि वह अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के न्यायालय में जाकर आदेश की जानकारी लेते। दिनांक	

28-2-13 को आदेश पारित हुआ है, दिनांक 16-11-15 तक अर्थात 2 वर्ष 9 माह तक आदेश की जानकारी लेने नहीं जाना एंव स्थानीय अभिभाषक व्दारा आदेश की जानकारी न लेना यही प्रमाणित करता है कि आवेदक एंव उनके अभिभाषक अपने अधिकार एंव दायित्वों के प्रति सजग नहीं रहे हैं जिसका लाभ प्राप्त करने के वह हकदार नहीं है।

4/ उक्त स्थिति में एक पक्षकार को लाभ देने के लिये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत अधिकारों से बंचित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा। अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये विलम्ब के कारण समाधान-कारक नहीं है एंव आवेदक स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है क्योंकि आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23-11-15 को प्राप्त हो गई थी एंव उनके व्दारा विचाराधीन निगरानी 7-12-15 को प्रस्तुत की गई है 23-11-15 से 7-12-15 के बीच व्यतीत समय का दिन प्रतिदिन का हिसाव भी नहीं दिया गया है जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत करने में किये गये अत्याधिक विलम्ब को क्षमा करना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत होने से कारण अमान्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य